

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2022—चैत्र 11, शक 1944

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2022

क्र. एफ 12-84-2020-बी-1-दो.—अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 का 104) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए तथा उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों को, नीचे यथा उल्लिखित उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रों, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 13(1) के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी

निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के मध्यप्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी.

उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में.

No. F 12-84-2020-B-1-Two.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13 of Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (No. 104 of 1956) and in supersession of all previous notifications issued under the said Act, the State Government, hereby appoints police officers specified below as Special Police Officers for dealing with the offences under the said Act in their respective areas of jurisdiction as mentioned below namely :—

Special Police Officers under Section 13(1) of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956

All officers of Madhya Pradesh Police not below the rank of Inspector.

In their respective areas of jurisdiction

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, अपर सचिव.